न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 06 /2020 तारीखरजू:–23-1-2020

उनवान:– कमला बनाम बिजेन्द्र वगै0

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
23-1-2020	वादी की और से श्री ~~सुरेश चन्द शर्मा~~ हसराम गुर्जर एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 27.02.2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली 379-88 23/1/2020
27.2.20	वादी वकील उप0/प्रतिवादी नं.1 से 9 की ओरसे श्री सुरेशचंद शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया/शामिल किया/ प्रतिवादी नं. 10 बाबत सूचना उप0 नही हो 8.0. साहब अवकाश पर पधारे हो आईन्दा दिनांक 26.3.20 को पेश हो।
26.3.20	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से कोई उपस्थित रखा गया है। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हैं। अगली पेशी दिनांक 30.4.20 को पेश हो।
10.9.20	लाकडाउन के कारण जनरल पेशी से पेश हुई/ वकील उभयपक्ष उप0/प्रतिवादी नं.10 के उपस्थित नही0 होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती हो जबाब दावा पेश करने दिनांक 8.10.20 को पेश हो।
8.10.20	वकुलाय उप0/ जबाब पेश करने दिनांक 29.10.20 को पेश हो।
29.10.20	वकुलाय उप0/ जबाब पेश करने समय चाहा/ समय दिया गया/ जबाब पेश करने दि0 26/11/20 को पेश हो।
26/11/20	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी...हनुवन्त सिंह मीणा उप सह पत्रावली गतानुसार दिनांक 7.1.21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

दिनांक	कार्य आदेशिका
26/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगणकालान एवं वकील की प्रतिवादी नं. 1 के कारण मुकदमा वापसी पेश करने के लिए एक अंतिम मौका दिया जाकर पत्रावली दिनांक वास्ते कायम मुकाम वापसी दिनांक 14.11.25 को पेश हो।
14/11/25	वादी उपस्थित पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित पत्रावली दिनांक 21.11.25 को पेश हो।
21.11.25	वादी सकीना एवं उनका पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित पत्रावली दिनांक 17.12.25 को पेश हो।
17/12/25	पत्रावली पेश की। वादी एवं वादी वकील कोर्ट उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज दिलाई गई। फिर भी उपस्थित नहीं। फलतः वादी का दावा तथा स्थायी निषेधाज्ञा अपील पेश्वी हेतु हाईकोर्ट में रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली पेशकार द्वारा होकर नम्बर के अनुसार दाखिल दफ्तर हो।